प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाना–स्यालतरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाना–स्यालतरी मोटर मार्ग के नव निर्माण की स्वीकृति शासनादेश संख्या 3278 / ।।।(2) / 17–04(एम०एल०ए०) / 2015 दिनांक 03.01.2017 के द्वारा 4.00 कि०मी० लम्बाई हेतु लागत रू० 48.35 लाख की प्राप्त हुई है। मार्ग निर्माण की वास्तविक लम्बाई 4.00 कि०मी० आती है। प्रस्तावित मोटर मार्ग पैणी–कुजासू मोटर मार्ग के कि०मी० 6.00 से प्रारम्भ होता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से विकासखण्ड पोखरी के ग्रामों का पोखरी एवं कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाएगा। ग्रामीणों को अपनी गेहूँ, धान, माल्टा, नींबू, मंडुआ, झंगोरा आदि फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी, वे फसल उचित दाम पर बेच सकेंगे जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि मार्ग निर्माण न्यूनतम सिविल वन भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1– नाप भूमि	1750 मी० x 7 मी० = 1.225 है०
2– सिविल / वन पंचायत भूमि	2000 मी० x 7 मी० = 1.4 है०
3– आरक्षित वन भूमि	250 मी० x 7 मी० = 0.175 है०
4– मक डिस्पोजल हेतु	= 0.056 है०
	योग :– 2.856 है०

अतः मार्ग निर्माण हेतु 1.631 है० आरक्षित, सिविल / वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल प्लान सहित प्रस्ताव गठित कर लो०नि०वि० को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अमीन नि०ख०,लो०नि०वि० पोखरी	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी